

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यपूर्वा खालियर।

पुकरण क्रमांक 2018 निगरानी ईश्योपुर

मिग्रानी/क्रमांक/शुल्क/2018/0717

श्री २०२० क - ८५  
द्वारा आज २२-१-१८  
प्राप्तवाच प्राप्ति तर्क देतु  
दिनांक ८-२-१८ नियमन।

*न*  
राजस्व मण्डल, व.प्र. एकालियर

रु १० - कर्मजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह,

रु २० - सुखदेव सिंह पुत्र वरण सिंह

रु ३० - हरमनपूरीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह  
निवासी ग्राम गोठरा, तहसील कराहल

जिला ईश्योपुर ₹ ३०प०

--- आवेदकगता ---

बनाम

रु १० - रामपत्ती पत्नि रघुवीर जाति मीणा  
निवासी गोठरा, तह० कराहल,  
जिला ईश्योपुर ₹ ३०प०

रु २० - काड़ी बैबा रामस्वलप्य जाति रावत  
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल,  
जिला ईश्योपुर ₹ ३०प०

रु ३० - शिवप्रसाद पुत्र पंभूलाल, जाति रावत  
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल  
जिला ईश्योपुर ₹ ३०प०

रु ४० - सुग्रीव पुत्र पंभूलाल, जाति रावत  
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल  
जिला ईश्योपुर ₹ ३०प०

रु ५० - बृंजेश पुत्र पंभूलाल, जाति रावत  
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल  
जिला ईश्योपुर ₹ ३०प०

3

- 2

1/2/11

१६। - त्रिवेणीदेवी पुत्री फून्दीलाल

निवासी ग्राम गोठरा , तह0 कराहल ,

जिला श्योपुर ₹३०४००

१७। - मिश्रीदेवी पुत्री फून्दीलाल

निवासी ग्राम गोठरा , तह0 कराहल

जिला श्योपुर ₹३०४००

१८। - रमेशपुत्र लक्ष्मीनारायण

निवासी ग्राम गोठरा , तह0 कराहल

जिला श्योपुर ₹३०४००

१९। - गायबी पुत्री हरिप्रसाद

निवासी ग्राम गोठरा , तह0 कराहल ,

जिला श्योपुर ₹३०४००

२०। - गिरधरलाल गोपाल पुत्र हरिप्रसाद

निवासी ग्राम गोठरा, तह0 कराहल

जिला श्योपुर ₹३०४००

२१। - पिस्ताबाई पत्नी छुड़ तुरेशा

निवासी ग्राम जाखदा , तह0 कराहल ,

जिला श्योपुर ₹३०४००

२२। - सन्तोष पत्नि दिलावर

निवासी ग्राम सिलपुरी , तह0 कराहल ,

जिला श्योपुर ₹३०४००

२३। - लिख पुत्र चेतू निवासी ग्राम जाखदा ,

तहसील कराहल , जिला श्योपुर ₹३०४००



--3

३-

11311

१४० - म०प० शासन

--- अनावैत्यकण ---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प०भू राजस्व संहिता 1959,  
विषय आदेश दिनांक 29-8-2017 को अपर कलेक्टर जिला  
श्योपुर म०प० द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/12- 13 छं निगरानो  
में पारित किया ।

-----०-----


३

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2013/0717

कर्मजीत कौर आदि विरुद्ध रामवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हरताक्षर
16/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री आर० सी० शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/12-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चंबल संभाग जिला मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> 	
		 <p>(आर० के० जैन) सदस्य 16.5.19</p>